न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारीः— अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

ं.— 11/2009

सी.एम.एस. : 2009/00058

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मामराज जाति बिश्नोई निवासी 6 बी.पी.एम.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

—:वादी

बनाम

1. गौरादेवी पत्नि स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5 एल.सी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
2. शिवनारायण पुत्र स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
3. सीताराम पुत्र स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
4. भागवंती सन्तान स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
5. सुशीला सन्तान स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
6. सलोचना सन्तान स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
7. बिमला सन्तान स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

उक्त नाम आदेश दिनांक 23.03.2009 के हटाय गया।

8. मोहनलाल पुत्र हीराराम जाति बिश्नोई निवासी 3 बी.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर।
9. शांति पुत्री हीराराम जाति बिश्नोई निवासी 3 बी.जी.एम. तहसील श्री विजयनगर।
10. कृष्ण लाल पुत्र मामराज जाति बिश्नोई सा.6बी पी एम तहसील श्री विजयनगर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिहनगर ।
12. मुन्नीदेवी सन्तान बोगाराम जाति बिश्नोई सा. डाबला तहसील रायसिहंनगर ।
13. सुरेन्द्रकुमार सन्तान बोगाराम जाति बिश्नोई सा. डाबला तहसील रायसिहंनगर ।
14. सुनीतादेवी सन्तान बोगाराम जाति बिश्नोई सा. डाबला तहसील रायसिहंनगर।
15. राहुल सन्तान बोगाराम जाति बिश्नोई सा. डाबला तहसील रायसिहंनगर ।

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—92ए—188 आर टी एक्ट

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम ,धारणीया, वकील वादी
2. श्री हेतराम ,विश्नोई, वकील प्रतिवादीगण

—: निर्णय :—

दिनांक : 19.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 —92 ए—188 आरटीए के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि त[illegible]रायसिंहनगर के वाके चक 6 बी.पी.एम. के प:न.118/332 वर्तमान मु.न. 65 के कि.न. [illegible] 15—[illegible] सालम सालम बोगा वल्द मल्लू 1/3 हिंस्सा, छोगा वल्द लालू [illegible] सांवला 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि थी छोगा वल्द लालू ने [illegible] तादादी 1—00 बीधा भूमि नहरी भूमि प्रतिवादी सं. 10 कृष्णलाल वल्द मामराज को [illegible]रिए बैयनामा बेचान कर ,जिसका इन्तकाल प्रतिवादी सं. 10 के नाम से जरिए बैयनामा [illegible] आधार पर हो चुका है त[illegible] वर्तमान जमाबन्दी में बोगा वल्द मल्लू 1/3 हिस्सा, कृष्णलाल वल्द मामराज 1/3 हिस्सा, तथा हीरा वल्द सांवला के वारिस प्रतिवादी सं. 8—9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1ता 7 के पति व पिता बोगा वल्द मल्लु ने अपने 1/3 हिस्सा की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner

1–0 बीधा जरिए बैयनामा दिनांक 24.08.1974 को मुझे वादी को बेचान कर दी जो उप पंजीयक रायसिहंनगर से तस्दीक किया हुआ है। इसी भूमि में से प्रतिवादी सं. 8 –9 के पिता हीरा वल्द सांवला ने सांवला ने अपने 1/3 हिस्सा की भूमि तादादी 1–00 बीधा जरिये बैयनामा दिनांक 23.02.62 को रामसिहं वल्द रूप सिहं को बेचान कर दी थी तथा खरीददार रामसिहं ने मुस्मी प्रेमसिहं , गुरदत्तसिहं , मेहर सिहं , कपूर सिहं , तिलोक सिहं, अनोखसिहं पि. तेजा सिहं व तेजा सिहं पुत्र छीपां सिहं को जरिए बैयनामा दिनांक 26.02.65 को बेचान कर दी तथा इस बाद उक्त प्रेमसिहं वगैरा ने साथ खरीददाद तेजा सिहं ने भी अपनी इस खरीदशुदा भूमि को जरिऐ बैयनामा दिनांक 23.05.73 को मुस्मी लखासिहं वल्द मेहरसिहं निवासी संगर को जरिए बैयनामां बेचान कर दी तथा इसके बाद लखा सिहं द्वारा मुझे वादी को जरिये बैयनामा दिनांक 24.08.1974को बेचान कर दी, जो बैयनामें उप पंजीयक रायसिहंनगर से तस्दीक है। भूमि मालिक बोगाराम व हीराराम की मृत्यु हो चुकी है, बोगाराम के जायज व कानूनी वारिस प्रतिवादी सं. 1 ता 7 है तथा मृतक हीरा वल्द सावंला के जायत वारिस प्रतिवादी सं. 8 व 9 है। उक्त बोगाराम व हीराराम से वादी के पिता द्वारा उसके बचपन काल में उसके नाम से भूमि खरीद की थी तथा हीरा वल्द सांवला की 1.00बीधा भूमि भिन्न भिन्न तारीख में बैयनामां के आधार पर ही रजिस्टरी होती रही है तथा वादी के पिता ने भूमि खरीद करने के बाद वादी के नाम इन्तकाल न करवाकर उन बैयनामां दस्तावेजात को घर के अन्दर संदूक में रख दिए तथा वादी के पिता की मृत्यु होने के बाद इन कागजात का कोई पता नहीं लगा जिस कारण वादी के नाम खरीद की गई उक्त 2.00बीघा भूमि का इन्तकाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ लेकिन वादी के कब्जा काश्त में उक्त मु.न. 65 प. न.118/332 के कि.न. 6 –15 सालम–सालम पर खरीद के रोज से लेकर आज दिन तक कब्जा चला आ रहा है तथा कि.न. 16 सालम पर प्रतिवादी सं. 10 का कब्जा काश्त है। उक्त तमाम भूमि मृतक बोगाराम व हीराराम के नाम से चली आ रही थी जिसका प्रतिवादी सं. 8–9 का मृतक हीराराम के हिस्सा की भूमि का विरास्तन इन्तकाल अपने नाम राजस्व रिकार्ड में करवा लिया जबकि प्रतिवादी सं. 8–9 का मृतक हीराराम के हिस्सा की भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 7 भी मृतक बोगा के 1/3 हिस्सा की भूमि का इन्तकाल अपने नाम करवाने की कार्यवाही कर रहे है जबकि वादी स्वयं सन् 1974से लेकर आज दिन तक काबिज होकर काश्त कर रहा है इसलिए वादी इस भूमि का खातेदार टिनेंट भी हो चुका है। लेकिन उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल दर्ज ना होने के कारण प्रतिवादी सं. 1ता9 गल्त दस्तावेज पेश कर अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवा लिया है तथा भूमि पर नाजायज कब्जा करने की धमकी भी दे रहे है। उक्त भूमि के बैयनामा के आधार पर आगे रजिस्टरी होती रहीं है। बैयनामा की नकल जिला अभिलेखागार से प्राप्त की तो उक्त सभी तथ्यों की जानकारी हुई। वादी ने सभी बैयनामाजात की नकल प्राप्त कर पटवारी हल्का को इन्तकाल दर्ज करने के लिए सम्पर्क किया तो उन्होंने बैयनामाजात पुराना होने के कारण सक्षम अधिकारी से आदेश लेकर देने का कहा जिस पर वादी ने प्रतिवादी सं. 11 के समक्ष दिनांक 19.01.2009 को प्रार्थना पत्र पेश किया पटवारी से रिर्पोट उसके बाद वादी पुनः प्रतिवादी सं. 11 पास इसी तारीख को आकर मिला तो उन्होंने भी माननीय न्यायालय से कार्यवाही करने के लिए कहा तथा इन्तकाल दर्ज करने से साफ इन्कार कर दिया। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है तथा बिनाय दावा वादी को भूमि खरीद के रोज से प्राप्त है।

वादी सन् 1974से इस भूमि बतौर खरीददार होने कारण अपने आपको खातेदार घोषित करवाने का विधिक रूप से अधिकारी है तथा तथाकथित बैयनामां के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने का भी विधिक रूप से अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 9 रिकार्ड में वादी का नाम न होने के कारण येन–केन प्रकरण भूमि पर कब्जा करना चाहते है तथा बार बार धमकी दे रहे है कि भूमि अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवा लिया है व करवा लेगें तथा किसी अन्य को भूमि दान कर कब्जा दे देंगे अगर प्रतिवादी स. 1ता 9 अपने इस अकृत्य में कामयाब हो जाते है तो वादी के अधिकारों का हनन होगा तथा उसको ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। जिसका कोई मूल्यांकन नहीं होगा तथा आपस मुकदमांबाजी बढ़ेगी इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी है। वाद में प्रतिवादी सं. 11 लैण्ड होल्डर होने के कारण वाद में आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

अतःवाद वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि:–वादी को चक 6 बीपीएम तहसील रायसिहंनगर के मु.न. 65 प.न.118/332 के कि.न.

उपखण्ड अधिकारी राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5–6–15 की 0.759 है0 भूमि में से 2/3 हिस्सा भूमि अर्थात 2–00 बीघा का बैयनामा बोगा वल्द मल्लू, दिनांक 24.08.1974 तथा हीरा वल्द सावंला द्वारा करवाए बैयनामा दिनांक 23.02.1962 तथा उसके बाद प्रेमसिहं द्वारा करवाए गऐ बैयनामा दिनांक 26.02.1965 तथा उसके बाद लखासिहं के नाम करवाए गऐ बैयनामा दिनांक 23.05.1973 तथा लखा सिहं द्वारा वादी के नाम करवाए गऐ बैयनामा दिनांक 24.08.1974 के अनुसार खातेदार घोषित किये जाने की डिकी पारित की जावे। उक्त आराजी का बैयनामा के आधार पर खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने का आदेश प्रतिवादी सं. 11 को दिये जावे तथा प्रतिवादी सं. 1ता 9 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की पारित की जावे कि वे उक्त 2.00बीधा भूमि में स्वयं अथवा अपने पश्चातवर्ती के माध्यम से वादी के कब्जा काश्त तथा सिचांई सुविधा में दखलन्दाजी करने व किसी अन्य तरीका से हस्तान्तरण व मुन्तकिल करने से व मौजूदा रिकार्ड में किसी प्रकार की तबदीली करने से बाज व ममून रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससे वादी इस 2.00बीधा भूमि से बेदखल होता हो। खर्चा वाद दिलाया जावे अन्य दादरषी जो मुफिद वादी हो दिलाया जावे।

अतः वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं.8–9 की ओर से श्री हेतराम बिश्नोई अधिवक्ता हाजिर होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं साथ ही प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया। जिस पर वकील वादी को एतराज न होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1ता 7 मृतक बोगाराम पुत्र मल्लू के वारिसान को सहवन से पक्षकार बनाया जाने के कारण प्रतिवादी सं. 1 ता 7 का नाम वाद पत्र से हटाया गया मृतक बोगाराम पुत्र मल्लू के वारिस मुनीदेवी, सुरेन्द्र कुमार, सुनीतादेवी , व राहुल को पक्षकार बनाया गया जो प्रतिवादी सं. 12 ता 15 पर स्थापित किया गया। इनकी ओर से श्री हेतराम अधिवक्ता हाजिर आये एवं प्रतिवादी सं. 8–12 ता 15 की ओर से जबाव दावा दिनांक 29.04.2009 को प्रस्तुत किया कि वाद में अंकित तथ्यों का विरोध प्रकट करते हुये अपने अतिरिक्त कथन में कहा है कि विवादित भूमि में प्रतिवादीगण के पिता/पति द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का बेचान सन् 1962 में या 1974 में नहीं किया गया। प्रतिवादी सं. 8 के पिता द्वारा हरिपुरा बारानी का बेचान किया गया था , हरीपुरा बारानी का खसरा नं. 100 व 140 की भूमि चक 5 एल.सी. व 2 एल.सी. में आ गई है यह खसरा नं. चक 6बी.पी.एम. में नहीं आया है। वादी द्वारा बैयनामें अन्य भूमि के बैयनामें के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया है प्रतिवादीगण के पिता/पति द्वारा विवादित भूमि में अपने हिस्सा का बेचान नही किया गया था। वादी द्वारा जिन बैयनामों का आधार लिया गया है वह बैयनामें चक 6 बी.पी.एम. के मु.न. 118/332 से सबंधित नहीं है। हरीपुरा बारानी की भूमि का बेचान किया गया था जो चक 6 बी.पी.एम. में नहीं आई। हरीपुरा बारानी के खसरा नं. 100 व 140 की भूमि जिनका बैयनामां वादी ने तथाकथित होना बताया गया है वह भूमि चक 6 बी.पी.एम. की नहीं है। इसलिए वादी अन्य चक की भूमि के बैयनामों का आधार लेकर विवादित भूमि के संबंध में तथ्यों को लेकर वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा वादी का वाद मियाद बाहर पेश किया गया है इसलिए भी वादी का दावा खारिज योग्य है। वादी को कोई बिनाए दावा प्राप्त नहीं है। अतः वादी का वाद–पत्र निराधार तथ्यों पर होने के खारिज फरमाया जावे तथा हम प्रतिवादीगण को वादी से हरजा खर्चा दिलाया जावे।

प्रतिवादी सं. 9–10–11 जबाव दावा पेश नहीं करने पर जबाव दावा बन्द कर दिया गया। प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गई :–

तनकी नं. 1:–आया कि वादी ने चक 6 बीपीएम तहसील रायसिहंनगर के मु.न. 65 प.न. 118/332 के कि.न. 5–6–15 की 0.759है0 भूमि में से 2/3 हि0 भूमि अर्थात् 2.00 बीधा भूमि का बैयनामा दिनांक 24.08.74, 23.02.62, 26.02.65, 23.05.73,एवं 24.08.74 के आधार पर खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

–:वादी

तनकी नं. 2:– आया कि वादी प्र.वा.सं. 1ता 9 के विरूद्व वाद भूमि में वादी के कब्जाकाश्त में दखलन्दाजी एवं सिंचाई सुविधा में व्यवधान नहीं करने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

–:वादी

तनकी नं. 3:– आया कि वादी द्वारा दर्शाये गये बैयनामों की भूमि वह नहीं है जो वादी ने वाद –पत्र में अंकित है, अतः वादी उक्त बैयनामों के आधार पर किसी प्रकार का

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अनुतोष प्राप्त करने के हकदार नहीं है।

—: प्रतिवादी स. 8,ता15

तनकी नं. 4:— आया कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का नहीं, वरन् प्रतिवादी का कब्जा काश्त है।

—: प्रतिवादी स. 8,ता15

5.अनुतोष ?

वादी ने अपने तहरीर साक्ष्य में स्वयं वादी ओमप्रकाश पुत्र मामराज, भूपराम पुत्र वीरूराम,अमरचन्द पुत्र हनुमान के ब्यान करवाये । वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अपने ब्यानों में जमाबन्दी सम्वत् 2062 प्रर्दश—1, बैयनामा बोगाराम बहक ओमप्रकाश पुत्र मामराज प्रर्दश—2 ए दिनांक 24.08.1974,बैयनामा हीराराम बहक रण सिहं प्रर्दश—3 ए दिनांक 24.02.2065, बैयनामा रण सिहं बहक तेजासिहं वगैरा प्रर्दश—4 ए दिनांक 26.3.1965, बैयनामा तेजासिहं वगैरा बहक लखा सिहं प्रर्दश —5ए दिनांक 23.05.1973, बैयनामा लखा सिहं बहक ओमप्रकाश प्रर्दश—6 ए दिनांक 24.08.1974 , पानी की पर्ची —छोगाराम व मामराज प्रर्दश—7 ए , एग्वीजिट करवाये।

वकील प्रतिवादी ने अपने तहरीर साक्ष्य में मोहन लाल पुत्र हीराराम के बयान करवाये। उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को अपने ब्यानों में बैयनामा दिनांक 15.5.75 करतारकौर बहक निहालचन्द पुत्र पतराम प्रर्दश—ए—1 व बैयनामा लखा सिहं बहक ओमप्रकाश पुत्र पतराम प्रर्दश—ए— 2 एग्वीजिट करवाये।

बहस पक्षकारान के अधिवक्तागण की सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के कथनों को दोहराया तथा धारा 90 साक्ष्य अधि.नियम के तहत 30 साल पुराने बैयनामा झूठा नहीं है। अतः बैयनामा के आधार पर इन्तकाल नहीं खुले है। वादी ने प्रर्दश—5 में लखा सिहं से भूमि खरीद की है। जो चक 6 बी पी एम में चला गया। कृष्ण पुत्र मामराज ने छोगा से बैयनामा करवाया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 की कोई मियाद नही है। हीराराम के मोहन—शान्ति है। मामराज के पुत्र कृष्ण —ओमप्रकाश (वादी) , बोगाराम के मुनी, सुनीता, राहुल, सुरेश है। रिकार्ड में मुश्तरका खाता में विवादित भूमि बोगा वल्द मल्लू 1/3 हि. , हीराराम वल्द सांवला 1/3 हि.,जो विरास्तन मोहन, शान्ति, कृष्ण वल्द मामराज 1/3 हि. दर्ज है। वादी बैयनामा के आधार पर विवादित भूमि का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दमराद करने का आदेश दिये जाकर वाद—पत्र डिकी फरमाया जावे। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में अपने जबाव दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी ने विवादित भूमि जरिये बैयनामा खरीद होना बताया है। 35 साल तक पालना क्यों नहीं करवाई। प्रर्दश—5 दिनांक 24.08.1975 बैयनामा में लखा सिहं ने जमीन बेची ,लखा सिहं के नाम की जमाबन्दी पेश नहीं की है। वादी ने चक 6 बीपीएम के ख.न. 100 व 140 के सही मु.न. बने इस का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। वादी ने जिरह में स्वीकार किया कि मामराज चक 6 बी पी एम का नहीं है। वादी का वाद पत्र खारिज फरमया जावे।

बहस पक्षकारान अधिवक्तागण पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार से है कि :—

<u>तनकी नं.1</u>:— इस तनकी को सिद्व करने का भार वादी पर था। वादी के द्वारा वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88—92ए—188 राज.काश्त.अधि. के तहत बैयनामा दिनांक 24.08.1974, 26.02.65, 23.02.65 व 23.05.1973 के द्वारा चक 6बी.पी.एम. तहसील रायसिहंनगर की खरीद शुदा भूमि को लेकर खातेदार घोषित करने का प्रस्तुत किया है। जबकि वाद पत्र के साथ वाके चक 6बी.पी.एम की जमाबन्दी सम्वत् 2062—2065 के खाता नं. 45/50 के प.न.118/332 मु.न.65 की प्रस्तुत की है। जो प्रर्दश—1 है [illegible] सांवला के हिस्सा उसके वारिस प्रतिवादी सं. 8—9 के नाम विरास्तन दर्ज है। वा[illegible] प्रस्तुत बैयनामा दिनांक 24.08.1974 प्रर्दश—2 ए के अनुसा[illegible] ओमप्रकाश पुत्र मामराज के पक्ष में चक 6 बी.पी.एम. के मु.न. 118/332 [illegible] प्रकार प्रर्दश—3 बैयनामा दिनांक 24.02.1965 के अनु[illegible] रण सिहं वल्द रूपा सिहं जाति जटसिख सा. कुरेसिया के पक्ष में मौजा हरीपुरा च[illegible]बला के खसरा नम्बर 100 के 20.03 , बीधा व 140/0.18 कुल 21.01बीस्वा के पक्ष में कि[illegible] है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा प्रर्दश—4 दिनांक 26.03.1965 के अनुसार रण सिहं वल्द रूप सिहं ने चक हरीपुरा डाबला में खसरा न. 100/20—03 व 140/0.18 कुल 21.01बीधा भूमि बहक तेजासिह वल्द छिपा सिहं , प्रेमसिहं व गुरदत सिहं व मेहर सिहं व

उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:16 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

...सिहं व तिलोक सिहं व अनोख सिहं पि0 तेजा सिहं कोम जटसिखान सा.डाभर तहसील करनाल जिला करनाल के पक्ष में है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा प्रर्दश–5 दिनांक 23.05.73 के अनुसार तेजासिहं वल्द छींपा सिहं व प्रेमसिहं व गुरदिता सिहं व तिलोक सिहं व अनोख सिहं पि0 तेजा सिहं जाति जटसिखान नि. 5 एल.सी. तहसील रायसिहंनगर बजोतखुद महर सिहं वल्द तेजा सिहं बजरिय तेजासिहं मु.खास ने चक हरीपुरा डाबला की जमीन खसरा सं. 100/20.03 व 140/018 कुल 21.01बीधा जमीन अब चक 5 एल सी के मोघे के नीचे आ चुकी है। बैयनामा में अंकित है। जिस में से खसरा न. 100/10.03 व 140/0.18 कुल 11–.01 किला जमीन वाके चक 5 एल.सी. तहसील रायसिहंनगर बहक लखा सिहं वल्द महर सिहं जाति जटसिख निवासी संगर तहसील करनपुर के पक्ष में है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत बैयनामा प्रर्दश–6 के अनुसार लखा सिहं वल्द महर सिहं ने चक हरीपुरा डावला तहसील रायसिहंनगर के खसरा नं. 140 में 0.18 जमीन नहरी जो कि चक 6 बी.पी.एम के मोघा के नीचे है को बहक ओमप्रकाश वल्द मामराज कोम विशनोई सा. डाबला के पक्ष में किया है। तथा पानी की पर्ची भी चक 6 बी.पी.एम.प्रर्दश–7 छोगाराम व मामराज के नाम की प्रस्तुत की है। जिसमें मु.न. भी अंकित नहीं है।

वादी ओमप्रकाश ने अपनी जिरह में कहाॅ कि चक हरिपुरा डाबला का रकबा चक 6 बी.पी.एम. तहसील रायसिहंनगर में तबदील हो गया है, इस बाबत कोई दस्तावेज /मिलान खसरा प्रस्तुत नहीं किया है। इस बाबत कोई साक्ष्य/जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। जबकि वाद–पत्र में अंकित रकबा भी बैयनामा प्रर्दश–2 ता 6 में अंकित से मेल नहीं खाता है। वादी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया कि हीरा वल्द सांवला ने हरिपुरा बारानी के खसरा नं. 100 के 20.03 बीस्वा व खसरा नं. 140 के 0.18 बीस्वा भूमि का बैयनामा रण सिहं के पक्ष में किया गया था। यह बात सही है कि यही भूमि रण सिहं ने प्रेमसिहं वगैरा को बेचान कर दी है। जिसका बैयनामा दिनांक 23.05.73 प्रर्दश–5 है। प्रर्दश –5 में हरिपुरा बारानी का खसरा नं. 100 व 140 का रकबा चक 5 एल सी में होना दर्ज किया है। यह बैयनामा दिनांक 23.05.73 है। यह बात सही है कि खसरा नं. 140 वा 100 की 10.00 बीघा वादी भूमि का बेचान लखा सिहं पुत्र मेहर सिहं को किया जाना दर्ज है। बैयनामा प्रर्दश–6 दिनांक 24.08.74 के द्वारा लखा सिहं ने खसरा नं. 140 की 0.18 बीस्वा भूमि का बेचान करना बताया गया है। इस बैयनामा में खसरा न. 140 का मु.न. 118/332 चक 6 बीपीएम का होना लिखा है। यह बात सही है , इस बैयनामा में खसरा नं. 100 का विवरण दर्ज नहीं है। दिनांक 24.08.74 के बैयनामा में केवल 0.18 बीस्वा जमीन खरीद की गई थी तथा खसरा न. 100 की भूमि खरीद करनी अंकित नहीं है। खसरा नं. 100 की भूमि खरीद करना का मेरे पास बैयनामा नहीं है। प्रस्तुत बैयनामा के अवलोकन से रकबा खसरा में से खरीद किया हुआ है। हिस्सा केवल प्रर्दश–2 में चक 6 बी.पी.एम. के मु.न. 118/332 के 3.00 बीधा नहरी जमीन में एक किला जमीन नहरी का ओमप्रकाश वल्द मामराज कोम विश्नोई सा. डाबला के पक्ष में है। अन्य बैयनामा रकबा भिन्न है। यह बात सही है कि हरिपुरा बारानी के खसरा नं. 100 की भूमि चक 6 बी पी एम गई, इसका मैने कोई सबूत पेश नही किया है। वादी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि खसरा नं. 100 की भूमि चक 6 बी पी एम व चक 5 एल सी में गई हो । यह बात सही है कि खसरा मिलान क्षेत्रफल का कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है। वादी द्वारा अपने दस्तावेजों एवं साक्ष्य शपथ–पत्र में खसरा नं. 100 का रकबा किस चक में , किस मुरब्बा में परिवर्तन हुआ है तथा खसरा नं. 100 का पत्थर नं. व मुरब्बा नं. की फिटिंग होना साबित नहीं होने के कारण वादी विवादित भूमि का खातेदार साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी साबित नहीं होने के कारण इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

<u>तनकी नं.2:–</u> इस तनकी को सिद्व करने का भार व... । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रर्दश–1 के अनुसार विवादित भूमि चक 6 बी.पी.एम. ... जमाबन्दी सम्वत् 2062 के खाता नं. 45/40 मु.न. 65 प.न.118/332 के किला 5 ... है0 नहरी भूमि मुश्तरका खाता में बोगा वल्द मल्लू 1/3 हि. हीराराम वल्द सांवला 1/3 हिस्सा, कृष्णा वल्द मामराज 1/3 हि0 दर्ज है। जिसमें हीराराम का हिस्सा मृत्यु... रास्तन प्रतिवादी मोहन–शान्ति के नाम दर्ज है। जो प्रर्दश–1 है। इस तनकी का विस्तृत विवेचन तनकी नं. 1 में किया जा चुका है। तनकी नं. 1 में वादी को विवादित भूमि का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी नहीं होने के कारण वादी के विरूद्व निर्णीत की जा चुकी है , ऐसी स्थिति में वादी विवादित

उपखण्ड अधिकारी राजस्व

Scanned with CamScanner

भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस तनकी का निर्णय वादी के विरूद्व निर्णीत की जाती है।

तनकी नं. 3 :–इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। इस तनकी का निर्णय अधिकतर तनकी नं. 1 में किया जा चुका है। वादी ओमप्रकाश द्वारा अपने ब्यानों के जिरह में इस बात को स्वीकार किया कि बैयनामा प्रर्दश–5 जो रण सिहं ने प्रेमसिहं वगैरा को बेचान कर दी थी। प्रर्दश–5 में हरीपुरा बाारानी का खसरा नं. 100 व 140 का रकबा चक 5 एल सी के मौघा में आने दर्ज किया है। यह बैयनामा दिनांक 23.05.73 का है, जिरह में वादी ओमप्रकाश ने कथन किया कि यह सही है कि मैंने खसरा मिलान का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। वादी गवाह अमरचन्द ने जिरह में कहा कि मुझे ओमप्रकाश ने कहा है वैसे ही ब्यान दिया है तथा ओमप्रकाश के कहने से ही शपथ पत्र लिखाया है। प्रतिवादी मोहन लाल ने अपने बयान में कहा कि लखा सिहं ने मेरे पिता की चक 6 बी पी एम की भूमि खरीद ही नहीं की थी इसलिए लखा सिहं ने गल्त बेचान किया है। इसके अलावा लखा सिहं ने खसरा न. 100 की भूमि रजिस्ट्रर्ड बैयनामा द्वारा निहाल चन्द व ओमप्रकाश को बेचान की थी बैयनामा प्रर्दश–ए–1 व प्रर्दश–ए–2 जिसमें चक 5 एल सी भूमि का बैयनामा है। चक 6 बी पी एम की अपने नाम की इस भूमि पर अपना कब्जा होना बताया है। इसके अलावा लखा सिहं के नाम चक 6 बी पी एम में यह विवादित भूमि होने से सम्बधित कोई दस्तावेज जमाबन्दी आदि वादी ने पेश नहीं की है। वादी ने लखा सिहं के नाम यह भूमि होने सम्बन्धी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी पेश नही की ,जब लखा सिहं के नाम भूमि थी ही नहीं तो लखा सिहं द्वारा किया गया बैयनामा का प्रभाव शुन्य है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बैयनामा में रकबा सही मिलान नहीं खाता है। प्रस्तुत बैयनामा में भिन्नता है। बैयनामा के अवलोकन पर मोजा हरिपुरा डाबला का रकबा चक 5 एल.सी. तहसील रायसिहंनगर के मौघा के नीचे आ गया है। वादी ने अपने बयानों के जिरह में कहा है कि मोजा हरिपुरा डाबला का रकबा चक 6 बी पी एम के मौघा बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत गवाह भूपराम पुत्र वीरूराम , अमरचन्द पुत्र हनुमान के स्वयं के नाम भूमि नहीं है , उनके पिता व दादा के नाम भूमि है। वादी के द्वारा काश्त करना देखा है। वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में आज भी रकबा मुश्तरका खाता में दर्ज है। इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी नं. 4:– इस तनकी को सिद्व करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा बाबत अपने शपथ पत्र में अंकित किया कि विवादित भूमि पर कब्जा मेरे पिता के जीवन काल में था तथा उनकी मृत्यु के बाद मेरा कब्जा काश्त है। तथा काश्त के लिए अलग अलग समय के लिए अलग अलग व्यक्तियों से काश्त पर दी जाती रही है। कब्जा बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्य से साबित नहीं किया है।

उक्त विवेचन एवं तथ्यों के आधार पर वादी का वाद पत्र पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में सिद्व न होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अर्पिता सोनी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं.– 11/2009
जी.सी.एम.एस. : 2009/00058

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मामराज जाति बिश्नोई निवासी 6 बी.पी.एम.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर

–:वादी

बनाम

1. गौरादेवी पत्नि स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5 एल.सी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर
2. शिवनारायण पुत्र स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
3. सीताराम पुत्र स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5 एल.सी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
4. भागवंती सन्तान स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
5. सुशीला सन्तान स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
6. सलोचना सन्तान स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी.तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।
7. बिमला सन्तान स्व. बोगाराम जाति बिश्नोई निवासी 5एल.सी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर।

उक्त नाम आदेश दिनांक 23.03.2009 के द्वारा हटाये गये

8. मोहनलाल पुत्र हीराराम जाति बिश्नोई निवासी 3 बी.जी.एम. तहसील श्रीविजयनगर।
9. शांति पुत्री हीराराम जाति बिश्नोई निवासी 3 बी.जी.एम. तहसील श्री विजयनगर।
10. कृष्ण लाल पुत्र मामराज जाति बिश्नोई सा. 6बी पी एम तहसील श्री विजयनगर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, रायसिहनगर ।
12. मुन्नीदेवी सन्तान बोगाराम जाति बिश्नोई सा. डाबला तहसील रायसिहंनगर ।
13. सुरेन्द्रकुमार सन्तान बोगाराम जाति बिश्नोई सा. डाबला तहसील रायसिहंनगर ।
14. सुनीतादेवी सन्तान बोगाराम जाति बिश्नोई सा. डाबला तहसील रायसिहंनगर।
15. राहुल सन्तान बोगाराम जाति बिश्नोई सा. डाबला तहसील रायसिहंनगर ।

–:प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–92ए–188 आर टी एक्ट</u>

–: निर्णय :–

दिनांक:–19.01.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री राजाराम धारणियां अधिवक्ता वादी, श्री हेतराम बिश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हस्ब जैल निर्णय पारित किया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि:–

वादी का वाद पत्र पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है।

डिक्री आज दिनांक 19.01.2021 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.02.02 13:46:16 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner